

[दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ]
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
 वित्त (राजस्व-1) विभाग
 दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/372

दिनांक: 30/06/17

अधिसूचना सं0 4/2017- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे माल की पूर्ति को विनिर्दिष्ट करते हैं, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती है और जिसकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है तथा जिसकी बाबत राज्य कर स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल की राज्य के भीतर पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदत्त किया जाएगा और उक्त अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण	माल का पूर्तिकार	पूर्ति का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	काजू जिनका छिलका नहीं निकाला गया है या जिन्हें छिला नहीं गया है	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
2.	1404 90 10	बीड़ी लपेटने वाले पत्ते (तेन्दू)	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
3.	2401	तंबाकू के पत्ते	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
4.	5004 से 5006	रेशम सूत	कोई व्यक्ति, जो रेशम सूत की पूर्ति के लिए कच्चे रेशम या रेशम कीट कोया से रेशम सूत का विनिर्माण करता है	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
5.	-	लाटरी की पूर्ति	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कोई स्थानीय प्राधिकारी	लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता । स्पष्टीकरण,--इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता का वही अर्थ है, जो उनका लाटरी

				(विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन बनाए गए लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में है।
--	--	--	--	--

स्पष्टीकरण –

- (1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस० के० गुप्ता)
उप-सचिव -VI (वित्त)

सं०फा० 03(15)/वित्त(राज०-1)/2017-18/डीएस-VI/372

दिनांक: 30/06/17

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
6. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
7. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

(एस० के० गुप्ता)
उप-सचिव -VI (वित्त)

**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002**

No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/372

Dated: 30/06/17

Notification No.4/2017-State Tax (Rate)

No.F3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/ --.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby specifies the supply of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, made by the person as specified in the corresponding entry in column (4), in respect of which the State tax shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the intra-state supply of such goods as specified in the corresponding entry in column (5) and all the provisions of the said Act shall apply to such recipient, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	Cashew nuts, not shelled or peeled	Agriculturist	Any registered person
2.	1404 90 10	Bidi wrapper leaves (tendu)	Agriculturist	Any registered person
3.	2401	Tobacco leaves	Agriculturist	Any registered person
4.	5004 to 5006	Silk yarn	Any person who manufactures silk yarn from raw silk or silk worm cocoons for supply of silk yarn	Any registered person
5.	-	Supply of lottery.	State Government, Union Territory or	Lottery distributor or selling agent. <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, lottery distributor

			any local authority	or selling agent has the same meaning as assigned to it in clause (c) of Rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010, made under the provisions of sub section 1 of section 11 of the Lotteries (Regulations) Act, 1998 (17 of 1998).
--	--	--	---------------------	--

Explanation. –

(1) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading or chapter, as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Lt.
Governor of the National Capital
Territory of Delhi

(S.K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)

No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/372

Dated: 30/06/17

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. Guard File.

(S.K. Gupta)
Dy. Secretary VI (Finance)